

समाहरणालय, कटिहार
(जिला पि० एवं अति पि०वर्ग कल्याण शाखा)

सूचना:-

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार, पटना के अन्तर्गत कटिहार जिला में जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, सूर तुलसी कॉलेज कटिहार शैक्षणिक सत्र 2026-27 में नामांकन लिया जाना है, छात्रावास आवासन क्षमता की विवरणी निम्नवत् है

क्र०सं०	छात्रावास का नाम	आवासन क्षमता	नमांकित छात्र	रिक्त बल	अभ्युक्ति
1	जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, सूर तुलसी कॉलेज कटिहार	100	71	29	

नामांकन हेतु आवेदन पत्र प्रकाशन की तिथि से 30 दिन तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे। उक्त छात्रावास में रिक्तियों के विरुद्ध नामांकन हेतु आवेदन पत्र दिनांक 01.07.2026 से दिनांक 30.07.2026 तक ऑनलाइन के माध्यम से आमंत्रित किया जाता है। नामांकन हेतु इच्छुक छात्र bcebonline.bihar.gov.in पर निर्धारित तिथि तक आवेदन कर सकते हैं। विशेष जानकारी के लिए छात्रावास परामर्शी से छात्र या अभिभावक प्रत्येक कार्यदिवस को 2 बजे अपराह्न के बाद जिला पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण कार्यालय कटिहार में सम्पर्क कर सकते हैं।

नामांकन की शर्तें:-

जननायक कर्पूरी ठाकुर कल्याण छात्रावास, सूर तुलसी कॉलेज कटिहार


1. आवेदक अत्यंत पिछड़ा वर्ग का छात्र हो।
2. आवेदक बिहार राज्य का निवासी हो।
3. आवेदक कटिहार जिला में स्थित किसी भी सरकारी/मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में नामांकित हो।
4. आवेदक न्यूनतम मैट्रिक पास होना चाहिए।
5. अर्हता प्राप्त आवेदकों में उच्च प्राप्तांक वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।
6. इंटरमीडिएट के छात्रों को प्राथमिकता दी जायेगी।

छात्रों की मिलने वाली सुविधाएँ

1. छात्रों के लिए निःशुल्क आवास की सुविधा।
2. सुरक्षा कर्मी, सफाई कर्मी एवं रसोइया।
3. पंखा, बल्ब, 24*7 बिजली की सुविधा, C-C-T-V. एवं WiFi
4. शुद्ध पेयजल की सुविधा।
5. खेलकूद की सामग्री।
6. डिजिटल लाइब्रेरी।
7. प्रतिमाह 15 किलोग्राम खाद्यान्न (09 कि०ग्रा० चावल एवं 06 कि०ग्रा० गेहू)।
8. प्रति छात्र प्रतिमाह 2000 (दो हजार) रुपये का छात्रावास अनुदान का लाभ।

आवेदन की प्रक्रिया:-

1. आवेदन https://bcebonline.bihar.gov.in/cay/BCEBC_MH_App/Registration.aspx पर जाकर ऑनलाईन माध्यम से किया जा सकता है।
2. आवेदन पत्र के साथ निम्नांकित प्रमाण-पत्रों की स्व०-अभिप्रमाणित प्रति अपलोड करना आवश्यक होगा।
3. आवेदक एवं अभिभावक का पासपोर्ट साईज फोटो।
4. आवेदक का जाति, आय एवं निवास प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
5. कटिहार जिला में स्थित शिक्षण संस्थानों में नामांकन से संबंधित कागजात।
6. आधार कार्ड की स्व० अभिप्रमाणित की छायाप्रति।
7. विगत परीक्षा के अंकपत्र की छायाप्रति।
8. बैंक पासबुक की छायाप्रति (खाता संख्या एवं IFSC Code सहित)।
9. विज्ञापन संख्या-
10. अध्ययनरत् संस्थान का सिफारिश पत्र।


 19.6.2026
 जिला पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण
 पदाधिकारी, कटिहार।